



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002

E-mail : pccf-jhk@gov.in, Phone : 0651 - 2481909

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश सं० : 11E-19(A) 1-10/2018 - 111

दिनांक : 16.06.2026

विभिन्न प्रकार के कर्मचारी संगठनों अथवा संघ से उनकी मांगों के लिए दिए जाने वाले Representation/अभ्यावेदन पर समीक्षा तथा सुनवाई के लिए एक स्थायी समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखण्ड, राँची - अध्यक्ष
2. मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (राजपत्रित), झारखण्ड, राँची - सदस्य
3. मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (अराजपत्रित), झारखण्ड, राँची - सदस्य
4. वन संरक्षक, प्रशासन, राँची - सदस्य

2. यह समिति संगठनों/संघों की मांगों पर सुनवाई करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेगी।

3. राजपत्रित पदाधिकारियों से संबंधित मांगों हेतु मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (राजपत्रित), झारखण्ड, राँची सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे एवं अराजपत्रित कर्मचारियों से संबंधित मांगों हेतु मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (अराजपत्रित), झारखण्ड, राँची सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 11E-19(A) 1-10/2018

दिनांक :

प्रतिलिपि : ^{अपर} प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखण्ड, राँची/मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (राजपत्रित/अराजपत्रित), झारखण्ड, राँची/वन संरक्षक, प्रशासन, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 11E-19(A) 1-10/2018 - 1965

दिनांक : 16.06.2026

प्रतिलिपि : आई०टी० सेल, राँची को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं प्रेषित।


15/06/2026
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।